समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0-494 दिनांक 15 जुलाई 2016 के द्वारा आयुध नियम, 2016 प्रकाशित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के शस्त्रों यथा रिवाल्वर/ पिस्टल/ रायफल/ एक नाली बन्दुक/ दो नाली बन्दुक आदि के नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदकों से प्राप्त होने वाले नये आवेदन (प्ररुप क-1 से प्ररूप क-14) में संबंधित आवेदक से विहित शुल्क कोषागार चलान के माध्यम से विहित शीर्ष में जमा कराया जाना है तथा आवेदन को नडाल के वेवसाईट पर पंजीकृत करते हुए जाँच में प्रेषित करने का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार अनुज्ञापन पदाधिकारी से स्वीकृत्योपरान्त अनुज्ञप्ति नवीकरण/ निरीक्षण, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति निर्गत करने, शस्त्र कय हेतु यात्रा अनुज्ञप्ति निर्गत करने, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में नयी सूचना इन्द्राज करने तथा कोषागार चलान के माध्यम से विहित शुल्क जमा कराये जाने का प्रावधान है।

अतः आयुध नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति उपरान्त उपरोक्त वर्णित कार्यो के निष्पादनार्थ श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा के रूप में अधिकृत किया जाता है। वे तदनुसार अपने कृत्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......17......../ श0, मधेपुरा, दिनांक....27.02.2017..........

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।